

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या: 115/2025
जीसीएमएस संख्या: 2025/214
निर्णय दिनांक: 31.10.2025
दायर दिनांक: 27.06.2025

1. अजीतसिंह पुत्र स्व० सुभाषसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरुप्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरुअप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट एवं 88 आरटी एक्ट

उपस्थिति

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजकुमार चायल।
2. राज पैरोकार।

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम बड़ाबर तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 472 खेत खसरा नम्बर 352 तादादी 13.8716 है० एवं ग्राम मलसीसर के खाता संख्या 449 खसरा नं० 860/254 तादादी 2.5290 है०, 885/256 तादादी 1.7703 है० के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कालूसिंह पुत्र मदनसिंह अंकित है। जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम सुभाषसिंह पुत्र मदनसिंह है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही बड़ाबर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर



निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कालूसिंह पुत्र मदनसिंह दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजों में प्रार्थी के पिता का सही नाम सुभाषसिंह पुत्र मदनसिंह है जो सही है। कालूसिंह पुत्र मदनसिंह व सुभाषसिंह पुत्र मदनसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कालूसिंह पुत्र मदनसिंह की बजाय सुभाषसिंह पुत्र मदनसिंह दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम सुभाषसिंह पुत्र मदनसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए।

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बड़ाबर	472	कालूसिंह पुत्र मदनसिंह	सुभाषसिंह पुत्र मदनसिंह
02	मलसीसर	449	कालूसिंह पुत्र मदनसिंह	सुभाषसिंह पुत्र मदनसिंह

रहन की प्रविष्टि (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़